कार्यालय जिला परिषद् सुपौल

आम सूचना

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि जिला परिषद् कार्यालय अहाते में भंडारित पूरानी खिड़की, ईट एवं ईट का टूकड़ा, लौहा सामग्री इत्यादि की निलामी दिनांक 29.12.2025 को 3:00 बजे अपराह्न में जिला परिषद् सुपौल स्थित सभा भवन में निर्धारित किया गया है। यदि किसी कारणवश दिनांक 29.12.2025 को निलामी नहीं हो पाएगा तो अनुवर्ती कार्य दिवस को निलामी की जाएगी। इच्छुक व्यक्ति निर्धारित तिथि एवं समय पर उपस्थित होकर निलामी में भाग ले सकते है।

क्रमांक	सामग्री का नाम	सुरक्षित जमा राशि	जमानत की राशि
1	पूरानी ईट, ईट का टूकड़ा लोहा का ऐंगल तथा पुरानी खिड़की इत्यादि	93,975.00	9,500.00

निलामी की शर्त्ते निम्न प्रकार है:–

1. इच्छुक डाकवक्ता को फोटोयुक्त पहचान –पत्र (पता सहित) की छायाप्रति संलग्न करना आवश्यक है।
2. इच्छुक डाकवक्ता को सुरक्षित जमा राशि का 10 प्रतिशत राशि जमानत की राशि के रूप में जमा करना अनिवार्य है।
3. अनावश्यक उँची बोली बोले जाने पर डाक की बोली पर बुरा प्रभाव पड़ता है। ऐसी स्थिति में बोली गई राशि पूर्ण रूपेण जमा करने के पश्चात ही आगे की बोली मान्य होगी। अन्यथा जमानत की राशि जप्त कर लिया जाएगा।
4. सफल डाकवक्ता को निबंधन शुल्क एवं स्टाम्प शुल्क सहित बन्दोवस्ती की सम्पूर्ण राशि उसी दिन जमा करना होगा।
5. सफल डाकवक्ता को अपने व्यय पर भंडारित स्थल से पाँच दिनों के अन्दर सामग्री खाली करना होगा।
6. सफल डाकवक्ता को निलामी की गयी सामग्रियों को हटाने की स्वीकृति अलग से निर्गत किया जाएगा।
7. अधोहस्ताक्षरी को निलामी स्वीकृत या अस्वीकृत करने का अधिकार सुरक्षित है।
8. निलामी में भाग लेने के पूर्व भंडारित सामग्री को देखा जा सकता है। निलामी के पश्चात सामग्रियों के गुण दोष पर विचार नहीं किया जाएगा।
9. विशेष जानकारी हेतु कार्यालय कार्यावधि में अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में सम्पर्क किया जा सकता है।

12/12/25

उप विकास आयुक्त–सह–
मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी,
जिला परिषद् सुपौल।

ज्ञापांक 1319/ जि0परि0 सुपौल, दिनांक 12/12/2025

प्रतिलिपि :– श्री मनीष कुमार, कार्यपालक सहायक, जिला परिषद् सुपौल को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि जिला परिषद् सुपौल के बेवसाइट पर सूचना की प्रति Upload करना सुनिश्चित करें।

प्रतिलिपि :– डी0आई0ओ0, सुपौल को सूचनार्थ प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि जिले के बेवसाइट पर सूचना की प्रति Upload करना सुनिश्चित करें।

प्रतिलिपि :– सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी/अंचलाधिकारी, सुपौल जिला को सूचनार्थ एवं प्रचार–प्रसार हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– सभी अनुमंडल पदाधिकारी, सुपौल जिला को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– जिला पदाधिकारी, सुपौल के सेवा में सादर सूचनार्थ समर्पित।

प्रतिलिपि :– माननीया अध्यक्ष, जिला परिषद् सुपौल के सेवा में सादर सूचनार्थ समर्पित।

12/12/25

उप विकास आयुक्त–सह–
मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी,
जिला परिषद् सुपौल।